

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2662
गुरुवार, 23 मार्च, 2023/2 चैत्र, 1945 (शक)

देश में बेरोजगारी दर

2662. डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दिसंबर, 2022 के महीने में देश में बेरोजगारी की दर अपने उच्चतम स्तर तक पहुँच गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) सबसे अधिक और सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या रोजगार दर में परिवर्तन से देश में श्रम भागीदारी में बदलाव आया है और क्या श्रम बाजार में सकारात्मक संकेत मिले हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार की बेरोजगार श्रम बल की आमद को कम करने के लिए स्कीम शुरू करने की योजना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर), श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) इस प्रकार थे:

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (%)	एलएफपीआर (%)	यूआर (%)
2020-21	52.6	54.9	4.2
2021-22	52.9	55.2	4.1

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएससीआई

उपरोक्त आंकड़ें दर्शाते हैं कि श्रम बाजार में सकारात्मक संकेत हैं, अर्थात् जहाँ एक तरफ बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है तो वहीं दूसरी ओर श्रम बल भागीदारी दर और कामगार जनसंख्या अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) अनुबंध में दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों में केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु, दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 11.03.2023 तक, इस योजना के तहत 60.3 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 13.03.2023 तक, इस योजना के तहत 42.21 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 24.02.2023 तक 39.65 करोड़ से अधिक ऋण खाते अनुमोदित किए गए।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगे।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है। सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

राज्य सभा के दिनांक 23.03.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2662 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर)

(% में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य	वर्ष 2021-22
1	आंध्र प्रदेश	4.2
2	अरुणाचल प्रदेश	7.7
3	असम	3.9
4	बिहार	5.9
5	छत्तीसगढ़	2.5
6	दिल्ली	5.3
7	गोवा	12.0
8	गुजरात	2.0
9	हरियाणा	9.0
10	हिमाचल प्रदेश	4.0
11	झारखंड	2.0
12	कर्नाटक	3.2
13	केरल	9.6
14	मध्य प्रदेश	2.1
15	महाराष्ट्र	3.5
16	मणिपुर	9.0
17	मेघालय	2.6
18	मिजोरम	5.4
19	नागालैंड	9.1
20	ओडिशा	6.0
21	पंजाब	6.4
22	राजस्थान	4.7
23	सिक्किम	1.6
24	तमिलनाडु	4.8
25	तेलंगाना	4.2
26	त्रिपुरा	3.0
27	उत्तराखंड	7.8
28	उत्तर प्रदेश	2.9
29	पश्चिम बंगाल	3.4
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.8
31	चंडीगढ़	6.3
32	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	5.2
33	जम्मू और कश्मीर	5.2
34	लद्दाख	3.3
35	लक्षद्वीप	17.2
36	पुडुचेरी	5.8
अखिल भारत		4.1

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई